रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940
No. 640] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 874(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1994 को, जहां तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक/भंडारी और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन निगम में उच्च श्रेणी लिपिक/भंडारी और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (प्रशासनिक समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना – ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे और ये केवल पोषक प्रवर्ग के उन कर्मचारियों को लागू होंगे जो सरकारी सेवक निगम में प्रतिनियुक्तिवत होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता – वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
उच्च श्रेणी लिपिक/भंडारी	*2173 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। **टिप्पण:** पदों की संख्या उस श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी सेवकों द्वारा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 4 (रू. 25500-81100)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10.	11.	12.	13.
(क) 80% अनुपयुक्त को नामंजूर किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा; (ख) 20% अनुपयुक्त को नामंजूर किए जाने के अधीन रहते हुए सीमित विभागीय प्रोन्नति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर **टिप्पणी-1**: पोषक प्रवर्ग में किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्तियां कर्मचारियों के दो प्रवर्गों अर्थात् निगम में	1. ऐसे अवर श्रेणी लिपिक या आकाशवाणी या दूरदर्शन केंद्रों अथवा अवस्थानों में समतुल्य वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (रू.19900-63200) में सेवारत में से अनुपयुक्त को नामंजूर किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की है; 2. आकाशवाणी या दूरदर्शन केंद्रों अथवा अवस्थानों में कार्यरत वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (रू. 19900-63200) में सेवारत ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. स्टेशन या केंद्र अध्यक्ष : ज्येष्ठ समय वेतनमान या ऊपर के स्तर के : अध्यक्ष (यदि किसी स्टेशन या केंद्र अध्यक्ष ज्येष्ठ समय वेतनमान स्तर से कम रैंक के हैं, तो निकटतम स्टेशन या केंद्र अध्यक्ष जिनका स्तर ज्येष्ठ समय वेतनमान हो)। 2. सहायक केंद्र निदेशक या सहायक केंद्र इंजीनियर: सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी: सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

प्रतिनियुक्तिवत सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी जैसा निगम विनिश्चय करे।	पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, निगम द्वारा अधिसूचति परीक्षा की स्कीम के अनुसार आयोजित की जाएगी)।		

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि- यदि कोई हो।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
अवर श्रेणी लिपिक	*2286 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: पदों की संख्या उस श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी सेवकों द्वारा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 2 (रू.19900-63200)	अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10.	11.	12.	13.
(क) 5% अनुपयुक्त को नामंजूर किए जाने के अधीन रहते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा; (ख) 10% प्रोन्नति सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर **टिप्पण-1:** पोषक प्रवर्ग में किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्तियां कर्मचारियों के दो प्रवर्गों अर्थात् निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी जैसा निगम विनिश्चय करे। **टिप्पण-2:** शेष रिक्तियों को निगम द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार भरा जाएगा।	(क) 5% रिक्तियां आकाशवाणी या दूरदर्शन के ऐसे कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (रू.18000-56900) के पद में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता है। (ख) 10% रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा: आकाशवाणी या दूरदर्शन के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (रू.18000-56900) के पद में दो वर्ष नियमित सेवा की है (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, निगम के द्वारा अधिसूचित परीक्षा की स्कीम के अनुसार आयोजित की जाएगी)। टिप्पण: यदि परीक्षा में रिक्तियों की	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. स्टेशन या केंद्र अध्यक्ष : ज्येष्ठ समय वेतनमान या ऊपर के स्तर के : अध्यक्ष (यदि किसी स्टेशन या केंद्र अध्यक्ष ज्येष्ठ समय वेतनमान स्तर से कम रैंक के है, तो निकटतम स्टेशन या केंद्र अध्यक्ष जिनका स्तर ज्येष्ठ समय वेतनमान हो) वे अध्यक्ष होंगे। 2. सहायक केंद्र निदेशक या सहायक केंद्र अभियंता: सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी : सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

	संख्या से अधिक कर्मचारी अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके।		

[फा.सं. ए-12018/1/2018-बीए(पी)]

अंजू निगम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2018

G.S.R. 874 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of All India Radio, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1994, in so far as it relates to the posts of Upper Division Clerk/ Storekeeper and Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerk/Storekeeper and Lower Division Clerk in the Corporation under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Administrative Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application - These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules and shall be applicable only to the employees in the feeder grade who are Government servants on deemed deputation to the Corporation.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix- The number of the said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Disqualification- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age limit or educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Upper Division Clerk/ Storekeeper.	*2173 (2018) * Subject to variation dependent on the work load. **Note:** The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	level 4 (Rs. 25500-81100)	Non-selection Post	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Grade from which recruitment by promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
10.	11.	12.	13.
(A) 80% by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit; (B) 20% by promotion on the basis of limited departmental	1. By Promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst Lower Division Clerks or equivalent in level 2 (Rs. 19900-63200) in	Departmental Promotion Committee (For considering promotion) 1. Station or Kendra Head of the level of Senior Time Scale	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

competitive examination. Note-1: The vacancies arising in a particular year in promotion quota shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e., the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.	pay matrix working in Akashvani or Doordarshan Kendras or Stations with eight years regular service; 2. By promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from amongst Lower Division Clerks in level 2 (Rs. 19900-63200) in pay matrix working in Akashvani or Doordarshan Kendras or Stations with five years regular service in the grade. (The Limited Departmental Competitive Examination shall be held as per the scheme of examination notified by the Corporation).	and above: Chairman (In case the Head of a Station or Kendra is of a rank lower than that of Senior Time Scale, the Head of the nearest Station or Kendra who is at least of the level of Senior Time Scale). 2. Assistant Station Director or Assistant Station Engineer: Member 3. Senior Administrative Officer or Administrative Officer: Member	

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age limit or educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.
Lower Division Clerk.	*2286 (2018) * Subject to variation dependent on the work load. **Note:** The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	level 2 (Rs. 19900-63200)	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Grade from which recruitment by promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
10.	11.	12.	13.
(A) 5% by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit; (B) 10% by promotion on the basis of limited departmental competitive examination. **Note-1:** The vacancies arising in a particular year in promotion quota shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e., the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation. **Note-2:** The remaining vacancies shall be filled in accordance with the regulations made by the Corporation in this behalf.	(A) By Promotion to the 5% vacancies from amongst employees of Akashvani or Doordarshan having three years regular service in the post in level 1 (Rs. 18000-56900) in pay matrix and possessing Matriculation or equivalent qualification from a recognized Board or University. (B) By Promotion to the 10% vacancies on the basis of limited departmental competitive examination: Employees of Akashvani or Doordarshan with two years regular service in the post in level 1 (Rs. 18000-56900) in pay matrix and possessing Matriculation or equivalent qualification from a recognized Board or University. (The Limited Departmental Competitive Examination shall be held as per the scheme of examination notified by the Corporation). **Note:** If more of such employees than the number of available vacancies qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.	Departmental Promotion Committee (For considering promotion) 1. Station or Kendra Head of the level of Senior Time Scale and above: Chairman (In case the Head of a Station or Kendra is of a rank lower than that of Senior Time Scale, the Head of the nearest Station or Kendra who is at least of the level of Senior Time Scale will be the Chairman). 2. Assistant Station Director or Assistant Station Engineer: Member 3. Senior Administrative Officer or Administrative Officer: Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/1/2018-BA(P)]
ANJU NIGAM, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.09.18 14:03:17 +05'30'